हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-1-2021 वकील प्रार्थीगण उप०। पुनः बहस सुनी गई। प्रा०पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:35 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2019	12.3.2019	8.1.2021

1. राजेश कुमार पुत्र भरोसी,माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
2. हनुमान पुत्र भरोसी,माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
3. दीपराम पुत्र भरोसी,माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण राजेश कुमार वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम छावा में भूमि ख0नं0 248 रकबा 4.16 है0 स्थित है। इस भूमि में प्रार्थी का 1/108 हिस्सा है जिस पर पहले प्रार्थीगण के पिता व उनके बाद प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश प्रार्थीगण के पिता का नाम भरोसीलाल की जगह मटोली पुत्र बुद्धया अंकित कर दिया है जो सही होने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है एवं प्रार्थीगण उनके वारिस हैं। प्रार्थीगण अपने पिता की भूमि में विरासत अंकित करवाना चाहते हैं परन्तु प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत अंकित होने के कारण विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुल पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अन्य राजकीय, अर्धराजकीय व भूमि की अन्य जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम भरोसीलाल ही दर्ज है इसके बाद भी राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के पिता का नाम भरोसीलाल के स्थान पर मटोली दर्ज कर दिया है जिसकी दुरूस्ती होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम छावा के ख0नं0 248 रकबा 4.16 है0 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मटोली पुत्र बुद्धया की जगह सही नाम भरोसीलाल पुत्र बुद्धया अंकित करवाने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने बिजली का बिल, भरोसीलाल के सेवानिवृति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत चूली द्वारा दिनांक 24.11.2017 को दिए गए प्रमाण पत्र की छायाप्रति, भरोसीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, नकल जमाबंदी सं0 2063 से 2066, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 प्रस्तुत किए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि भरोसीलाल उर्फ मटोली एक ही व्यक्ति था। जमाबंदी सं0 2071–74 के खाता संख्या 183 में नाम भरोसी पुत्र बुद्धा दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:35 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते

कलेक्टर
(राजस्व)

रिपोर्ट के साथ पटवारी हलका चूली की रिपोर्ट की छायाप्रति, भरोसीलाल के वोटरकार्ड की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति, भरोसीलाल के पहचान एवं शपथपत्र की छायाप्रति, भरोसीलाल के आधारकार्ड की छायाप्रति, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 के खाता संख्या 183 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण के अनुसार सही नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। भूमि ख0नं0 248 रकबा 4.16 है0 ग्राम छावा की नकल जमाबंदी सं0 2071—74 के खाता संख्या 233 में खातेदार का नाम मटोली पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/108 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त रिपोर्ट पटवारी की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के अनुसार मटोली के स्थान पर भरोसीलाल दर्ज होना चाहिए। अन्य भूमि की जमाबंदी में भी भरोसीलाल पुत्र बुद्धा ही दर्ज है। इन अभिलेख के आधार पर प्रार्थीगण भूमि ख0नं0 248 रकबा 4.16 है0 ग्राम छावा में दर्ज मटोली पुत्र बुद्धा के स्थान पर भरोसीलाल पुत्र बुद्धा दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा में दर्ज भूमि ख0नं0 248 रकबा 4.16 है0 में दर्ज प्रविष्टि मटोली पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/108 जाति माली सा0 देह खातेदार के स्थान पर प्रविष्टि भरोसीलाल पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/108 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:35 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)